बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0स0– भ/भू सम्पदा–09–02–(अराजपत्रित)–01/2024– 10   पटना, दिनांक– 24/1/25

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए मैं निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास आदेय किराया एवं अनुमान्य करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आंवटित किया जाता है :–

क्र0	Reg. No.	नाम / पदनाम	विभाग / कार्यालय	आवंटित आवास
1.	NG13899	श्री अमित कुमार, कार्यालय परिचारी	आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, (समाज कल्याण विभाग)	A1/410, गर्दनीबाग
2.	BN5576	श्री हरे कृष्ण पाल, चालक	सूचना प्रावैधिकी विभाग	A1/412, गर्दनीबाग
3.	BN5577	श्री मुकेश रजक, चालक	सूचना प्रावैधिकी विभाग	A1/414, गर्दनीबाग
4.	BN7500	श्री संतोष कुमार पासवान, निम्नवर्गीय लिपिक	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	A2/203, गर्दनीबाग
5.	-	श्री अभिषेक कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक	निगरानी विभाग	सी/86, बैंक रोड

1. आवंटित आवासों को संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राथमिकता के आधार पर उसकी मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. यदि भविष्य में ज्ञात होता है कि गलत सूचना के आधार पर किसी अपात्र कर्मी को आवास आवंटित हो गया है तो संज्ञान में आते ही उक्त आवास आवंटन को रद्द किया जाएगा तथा ऐसे आवंटी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा।
3. आवंटी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता से संपर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार 30 दिनों के अन्दर ग्रहण करेंगे। 30 दिनों के अन्दर आवास स्वीकार नहीं करने की स्थिति में आवंटन स्वतः रद्द माना जायेगा।
4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
6. अगर पटना में आवासी का कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में सूचित करेंगे।

7. विभागीय आदेश सं0–3473, दिनांक–30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंश चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :–

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया (रूपया में)	मासिक मेंटनेन्स चार्ज (रूपया में)	प्रति आवास कुल मासिक कटौती (रूपया में)
1.	ए–टाईप आवास, गर्दनीबाग	275	564	839

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

8. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निरस्तारित किया जाएगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(शिव रंजन)
उप सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः–भ/भू–सम्पदा–09–02–(अराजपत्रित)–01/2024 908(7) पटना, दिनांकः– 24/1/25

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना/कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी/सभी संबंधित आवंटी कर्मचारी/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/1/25

उप सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।